पत्रांक– 08 / न० वि० / e-gov–35 / 2024..... / न० वि० एवं आ० वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक

राजेश कुमार तिवारी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
बिहार, पटना।
'द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

दिनांकः– .....

विषयः– **नगर विकास एवं आवास विभाग अन्तर्गत e-Office के कार्यान्वयन हेतु विभाग में संधारित संचिकाओं के लगभग 15 लाख पृष्ठों का Scanning एवं Digitisation हेतु अनुमानित व्यय की राशि रु0 8,00,000/– (आठ लाख रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2025–26 में e-Governance मद में सहायक अनुदान के रुप में व्यय की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग अन्तर्गत e-Office के कार्यान्वयन हेतु विभाग में संधारित संचिकाओं के Scanning एवं Digitisation हेतु निविदा समिति–सह–तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा लगभग 15 लाख पृष्ठों का अनुमानित व्यय की राशि रु0 8,00,000/– (आठ लाख रुपये) मात्र का आकलन किया गया है। उक्त कार्यो के लिए व्यय होने वाली राशि रु0 8,00,000.00 (आठ लाख रुपये) मात्र का भुगतान वित्तीय वर्ष 2025–26 में e-Governance मद में सहायक अनुदान व्यय के रुप में स्वीकृति दी जाती है।

2. उक्त स्वीकृत राशि रु0 8,00,000.00 (आठ लाख रुपये) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17.04.1998 एवं पत्रांक–227 दिनांक–28.03.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जाएगी। अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बुडा के पी0एल0 खाता सं0–PBBPLA015, HOA संख्या–00–8448–00–120– 0035–00–01 में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से ऑनलाईन हस्तांतरित किया जायेगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। बुडा द्वारा उक्त राशि का भुगतान निविदा में चयनित एजेन्सी को कर दी जायेगी।

3. वित्त विभाग के परिपत्र सं0–1496 दिनांक–22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी0भी0 नम्बर एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

4. वित्त विभाग के संकल्प सं0–573 दिनांक–16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक–19.10.2011 एवं बिहार कोषागार सहिता के नियम 271 के अनुसार सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं अंकेक्षण लेखा स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अन्दर महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।

5. कुल स्वीकृत राशि रु0 8,00,000.00 (आठ लाख रुपये) मात्र की निकासी मांग संख्या–48, मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–05–अन्य शहरी विकास योजनाएँ, लघु शीर्ष–001, निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष–0101–ई0– गवर्नेंस/नगरीय सुधार कार्यक्रमो एवं इसके समतुल्य कार्यक्रमो हेतु विपत्र कोड–48–2217050010101, विषय शीर्ष–31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन के अन्तर्गत की जाएगी।

6. वित्त विभाग के परिपत्र सं0–7355 वि (2) दिनांक–05.10.2007 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

7. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0–08/न0वि0/e-gov-35/2024 के पृष्ठ ....56...../टि0 पर दिनांक–09/02/2026 को प्राप्त है तथा सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति पृष्ठ ....57...../टि0 पर दिनांक–09/02/2026 को प्राप्त है।

8. इसकी सूचना उप सचिव –सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राजपाल के आदेश से।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–08/न० वि०/e-gov–35/2024– 488 **/न0वि0एवं आ0वि0/पटना, दिनांक :–**10/2/26

प्रतिलिपि:–उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अपर सचिव–सह–निदेशक, बुडा, पटना/विभागीय लेखा शाखा को 02 प्रतियों में/लेखापाल, बुडा/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई0टी0 मैनेजर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02 एवं 03, नगर विकास एवं आवास विभाग/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/2/26

सरकार के संयुक्त सचिव।